APP-A
Crim-1

FORM No. IH

फर्द अहकाम

(नियम 26)

S.D.O. मुकाम नगर

लालचंद बनाम तहसीलदार नगर

136 LR Act नं. सन्

हुक्म की कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/5/15 पीठासीन अधिकारी महोदय प्रशिक्षण / अवकाश पर है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31.5.15 को पेश हो	
31/5/15 पीठासीन [illegible] अवकाश पर है। पत्रावली पूर्वानुसार [illegible] 30/6/15 को पेश हो	
30/6/15 पीठासीन अधिकारी महोदय प्रशिक्षण / अवकाश पर है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/8/15 को पेश हो	
आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प रूंदी में प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण 1. लालचंद पुत्र मनोहरी जाति जाटव नि. ग्राम जलालपुर तह. नगर 2. रामप्यारी पुत्री मनोहरी पत्नि डूंगजी 3. किशन प्यारी पुत्री मनोहरी पत्नि बाबू लाल जाति जाटव नि. कस्बा कठूमर जिला अलवर 4. सोमवती पुत्री मनोहरी पत्नि बाबू लाल 5. लज्जो पुत्री मनोहरी पत्नि मोहन सिंह जाति जाटव नि. ग्राम पेंटा तह. कठूमर जिला अलवर ने अप्रार्थी तहसीलदार नगर के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र U/s 136 LR Act प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आ.ख. नं. 350/1.16 वाके ग्राम लखनपुर तह. नगर का 17/116 हिस्सा प्रार्थीगण के पिता मनोहरी पुत्र टीका के कब्जे काश्त खातेदारी का रकबा था [illegible] मनोहरी पुत्र टीकू जाति [illegible] की दिनांक 26.10.11 को मृत्यु [illegible] हल्का से विरासत दर्ज करने हेतु [illegible] उन्होंने रिपोर्ट की कि रिकार्ड में मनोहरी पुत्र गम्भू दर्ज है इसलिए विरासत नहीं खुल सकती। इसके बाद प्रार्थी. ने अन्य आपत्ति — जारी —	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 12:31:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही इनिशियल्स जज

के रिकार्ड की जाँच करने पर प्रार्थी के पिता का सही नाम मनोहरी पुत्र हाकू दर्ज हो रहा है। दौराने भू प्रबंध कर्मचारियों की गलती से प्रार्थी के पिता का नाम उक्त कि.सं. में मनोहरी पुत्र हाकू के स्थान पर मनोहरी पुत्र भाकू दर्ज कर दिया, जबकि मनोहरी पुत्र भाकू इनको किसी भी ~~[illegible]~~ आदेश के दुरुस्त बदलने का अधिकार नहीं है। अंत में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के पिता का नाम कि.सं. में मनोहरी पुत्र भाकू के स्थान पर मनोहरी पुत्र हाकू दुरुस्त किया जावे।

मौके पर कैम्प के दौरान तहसीलदार नगर से जाँच रिपोर्ट तलब की गई। ILR खोहरी व पटवारी जलालपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "ख.नं. 350/1.16 वाके ग्राम जलालपुर वर्तमान जमाबंदी सं. 2068-71 में प्रार्थीगण के पिता मनोहरी पुत्र भाकू नाम दर्ज रिकार्ड है, जबकि पटवारी ने हिमाचल भू-प्रबंध रिकार्ड का मिलान खसरा के अनुसार मनोहरी पुत्र भाकू अंकित है और कि साबिक ख.नं. 169 से बना है। साबिक ख.नं. 169 रकबा 6 कनाल 19 मरले - जमाबंदी बाबत 2015-18 में मनोहरी पुत्र हाकू दर्ज रिकार्ड था। बवक्त बन्दोबस्त प्रार्थीगण के पिता का नाम मनोहरी पुत्र हाकू के स्थान पर मनोहरी पुत्र भाकू अंकित किया गया है। अतः साबिक रिकार्ड अनुसार हाल रिकार्ड में मनोहरी पुत्र हाकू शुद्ध किया जाना उचित है।" इस रिपोर्ट पर तहसीलदार नगर द्वारा अपनी टिप्पणी अंकित की है कि "मुताबिक जाँच रिपोर्ट शुद्ध [illegible] उचित है।"

[illegible] अवलोकन [illegible] पाया कि हाल ख.नं. 350/146 वाके जलालपुर मुताबिक खसरा एवं भू-प्रबंध विभाग के साबिक ख.नं. 169 से बनाया जाना साबित है तथा मॉडल नं. 23-24 बाद हुकुम में - "मनोहरी-

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 12:31:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

लालचन्द बनाम तहसीलदार
U/s 136 LRAct

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पुत्र मक्खू जाटव सा. जलालपुर खालसा दे. 18/116 व कस्टोडियन 99/116 "दर्ज हो। नकल जमाबन्दी सं. 2015-18 के खाता सं. 161 में ख.नं. 169 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा की बाबत - "मनोहरी वल्द हाबू कौम चमार सा. जलालपुर पट्टेदार 1 लाल" दर्ज होना पाया जाता है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख के विवेचन से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि प्रार्थीगण के पिता का नाम सैटल्मेंट प्रबंध मनोहरी पुत्र हाबू के स्थान पर मनोहरी पुत्र मक्खू दर्ज हो गया है जो दुरुस्त किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः आदेश है कि — प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तहसीलदार नगर को आदेश दिया जाता है कि आ.स.नं. 350/1.16 वाके ग्राम जलालपुर तह. नगर में मनोहरी पुत्र मक्खू के स्थान पर मनोहरी पुत्र हाबू दुरुस्त किया जावे. शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। उक्त दुरुस्ती के पश्चात मृतक मनोहरी पुत्र हाबू के वारिसान की जांच कर विरासत दर्ज करे। पालना हेतु तहसीलदार नगर को तहरीर जावे हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (हेमराज पारीक) उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर) राज.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 12:31:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner